

सेवा में
 श्री आनन्द निदेशक मध्य
 राष्ट्रीय शक्ति संस्था
 (एन.एस.आई.)
 कल्याण - काठपुर

९१०
 नए
 ०६/११

मध्य

प्रार्थी भारतीय.आई.एस 205 के अन्तर्गत
 जांच करता है कि 6-10-2013 को जारी शासनोदेश
 से जो ऐरियर 1-10-2013 से सीजनल कर्मचारी का बकाया
 गया है। उस शासनोदेश के अनुसार 1-10-2013 को नया प्रिम्सेसन
 किया गया है। 30000 वेतन के साथ 1-10-2015 को नया
 प्रिम्सेसन किया गया उसकी एक-एक दायी प्रति देने की कृपा करें
 2- ये भी जांचारी देने की कृपा करें कि 30 सितम्बर को 2013 को
 कितनी वेतन की 31 दिसम्बर 2016 को कितनी वेतन वेतन वेतन हुई।
 जांचारी देने की कृपा करें जहाँ दया करेगी।

प्रार्थी इसकी फ्रीस पोस्टल आर्डर के द्वारा भुगतान कर रहा है।
 पो. आर्डर नं - 1-41F 975471
 2-41F 975472

Sri D. S. Mishra
 10/11/17

नरेन्द्र सिंह
 13/11/2017

313
 10/11/17

प्रार्थी
 विश्वनाथ शिवारी
 पूर्व सहायक प्रिन्सिपल
 एम्.पी. प्रो. ग्रेजुएट स्कूल लाम्ही
 राष्ट्रीय शक्ति संस्था
 कल्याण - काठपुर



दिनांक 30/10/2017
 आ.नं० - 707/661294



सं. सं. 25(52)/2017/RTI/

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

त्वरित-डाक
Speed-Post

फोन 2570541, 542

फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-27.11.2017

सेवा में,

श्री विश्वनाथ तिवारी,
124/67 डी ब्लॉक,
गोविंदनगर,
कानपुर - 208 006 (उ.प्र.)

जारी
संख्या 946
दिनांक 28/11/17

विषय- IPO No. 41F 975471 रु. 10/- लौटाने के संबंध में।

महोदय,


RTI के संबंध में संस्थान में दि. 06.11.2017 को प्राप्त आपके पत्र दि. 30.10.2017 के संबंध में सूचित करना है कि चूंकि RTI प्रार्थनापत्र के साथ केवल रु. 10/- का ही शुल्क देय है। चूंकि आपने पत्र के साथ रु. 10-10 के दो IPO संलग्न किये थे अतः उनमें से एक IPO No. 41F 975472 रु. 10/- को संस्थान के कोषागार में जमा करवा लिया गया है और दूसरा IPO No. 41F 975471 रु. 10/- मूलतः आपको लौटाया जा रहा है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(जितेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
सहा. आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी

27/11/2017



सं. सं. 25(52)/2017/RTI/

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

फोन 2570541, 542
फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-06.12.2017

सेवा में,

श्री विश्वनाथ तिवारी,
124/67 डी ब्लॉक,
गोविंदनगर,
कानपुर - 208 006 (उ.प्र.)

जारी
संख्या 28
दिनांक 6/12/17

विषय- वांछित सूचना हेतु राशि जमा करवाने के संबंध में।

महोदय,

RTI के संबंध में संस्थान में दि. 06.11.2017 को प्राप्त आपके पत्र दि. 30.10.2017 के संबंध में सूचित करना है कि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिये संस्थान के कोषागार में दो पृष्ठ की छायाप्रति हेतु निर्धारित शुल्क रु 04.00 (चार रु मात्र) जमा करवाकर टी.आर. की छायाप्रति उपलब्ध करवाये, ताकि मांगी गई जानकारी आपको प्रदान की जा सके।

TRNO. 294441 दि. 12/12/2017 डर
रु 40 (मासिक) जमा करवाया गया

12/12/17

भुवदीय

(ए.के. पाठक)

सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं
सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रि

06/12/17

स्वीड पोस्ट



सं. सं. 25(52)/2017/RTI/

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

कानपुर, दिनांक-14.12.2017

फोन 2570541, 542

फैक्स 0512-2570247

सेवा में,

श्री विश्वनाथ तिवारी,
124/67 डी ब्लॉक,
गोविंदनगर,
कानपुर - 208 006 (उ.प्र.)

जारी
संख्या - 12
दिनांक - 14/12/17

विषय- वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा RTI, 2005 के तहत वांछित सूचना की छायाप्रति उपलब्ध करवाने हेतु संस्थान के कोषागार में टी.आर. नं. 294441 दि. 12.12.2017 द्वारा राशि रु. 4.00 (चार) मात्र जमा करवा दी गई है। विषयांकित के संबंध में सूचित करना है कि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे दो पृष्ठों में आप द्वारा वांछित समस्त सूचना समाहित है। सूचना की छायाप्रतियां पत्र के साथ संलग्न हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208 017

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(जितेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रति
14/12/17

33

30/09/13
 1004-13

कर्मचारों को पूर्ववर्ती वेतनमान में दिनांक 30/09/13 को और पुनरीक्षित वेतनमान में 1004-13 को भुगतान किए जा रहे वेतन का दृष्टान्त निम्नलिखित रूप में दिया रहा है-

मूल वेतन	5700-50-6200-55-6750
पुनरीक्षित वेतन	11130-122-12350-136-13710

मान लीजिए यदि कोई कर्मकार पुराने वेतनमान में दिनांक 1/09/13 को मूल वेतन रु० 6695/- आहरित कर रहा है तथा ऐसे कर्मकार को नियत भत्ता, परिवर्तन भत्ता निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है-

मूल वेतन	6695=00	
नियत वेतन	55=00	
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	5381=00	
	योग	12131=00

ऐसे कर्मकार को दिनांक 10/04/13 को पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमन्य मूलवेतन निम्नवत् होगा-

मूल वेतन (पूर्ववर्ती वेतनमान देा)	6695=00	
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3221 अंको तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	1370=00	
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4603 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	2923=00	
मूल वेतन में एक मुश्त वृद्धि	1000=00	
अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि	122=00	
कार्यक रहने वृद्धि	122=00	
	योग	12232=00

उपरोक्तानुसार दिनांक 10/04/13 को निर्धारित नये वेतनमान में मूल वेतन रु० 12232/- होगा जिसे वेतनमान के अगले प्रक्रम में रु० 12350=00 पर निर्धारित किया जायेगा। तथा ऐसे कर्मकार को कुल मजदूरी निम्नानुसार दिनांक 10/04/13 निम्नवत् देय होगी।

मूल वेतन	12350=00	
नियत वेतन	55=00	
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	1466=00	
	योग	136=00
		14007=00

A.P.T.

S.A.O

At home

P.T.O

